17/02/26

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर ~~पत्रावली~~ पत्रावली शामिल किया। मूल पत्रावली मे माल सुमार से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो पत्रावली जिला रेकर्ड में शामिल हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
94/25	20.06.2025	17.02.2026

बउनवान

1. मनजीत सिंह पुत्र श्री हरिकिशन जाति अहीर निवासी चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जर्ये श्रीमान तहसीलदार, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. जयसिंह
3. राजेश
4. वीरसिंह
5. हुकमसिंह
6. हंसराज पुत्रान रतिराम
7. गजराज सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जातियान अहीर निवासीयान चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128
भू0 राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी वकील –: श्री बस्तीराम यादव
अप्रार्थी वकील –: श्री गंगाराम पटेल

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल ख० नं0 1093/0.17 है0, हाल ख0 नं0 1095/0.16 है0, 1094/0.18 है0, वाके ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
2. यह है कि उक्त आराजी मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी है जो प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है जिस पर मिन प्रार्थी अपने पिता के फौत होने के बाद उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। तथा वर्तमान में प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। मिन प्रार्थी की आराजी पर दीगर लोग अतिक्रमण करने पर उतारू है जिस बाबत मिन प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान बाबत पेश किया जिस पर तहसीलदार मुण्डावर के आवेदन टोकन नं0 2025/46943/1 दिनांक 21/05/2025 की पालना में आराजी हाल ख० नं0 1093/0.17 है0, हाल ख० नं0 1095/0.16 है0, 1094/0.18 है0, वाके ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर का दिनांक 26/05/2025 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। इसलिये अब मिन प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अपनी उक्त आराजी की पत्थर गढी कराना चाहता है जिसके लिये यह मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक आया है।

3. यह है कि मिन प्रार्थी सीधा सज्जन व्यक्ति है इसलिये कोई अन्य व्यक्ति मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा ना कर ले इसलिये कानूनन रूप से पत्थर गडी बाबत प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–
अतः प्रार्थना पत्र पेशकर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी हाल ख0 नं0 1093/0.17 है0, हाल ख0 नं0 1095/0.16 है0, 1094/0.18 है0, वाके ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर की दिनांक 26.05/2025 की पैमाईश के अनुसार पत्थर गडी कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्डर्ट किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, तामिल बाद अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 07 के अधिवक्ता ने बिना जबाव पेश करे ही सिधे बहस करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सीमाज्ञान रिपोर्ट, जमाबन्दी सम्वत 2071–74, नक्शा टेस रिपोर्ट पेश की।

प्रार्थी की ओर से विनम्र निवेदन है कि प्रकरण के तथ्य, अभिलेख एवं प्रस्तुत साक्ष्य से निम्न बिन्दु स्पष्ट रूप से प्रमाणित होते हैं–

1. विवादित भूमि का स्वामित्व व काश्त
यह निर्विवाद है कि आराजी हाल ख.नं. 1093 रकबा 0.17 हे., 1095 रकबा 0.16 हे. तथा 1094 रकबा 0.18 हे. स्थित ग्राम चांदपुर, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी सम्वत 2071–74) में प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज रही है। पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी वैधानिक उत्तराधिकारी होने के नाते उक्त भूमि पर काबिज काश्तकार होकर निरन्तर उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी का कब्जा एवं काश्तकारी अधिकार राजस्व रिकॉर्ड से सिद्ध है।

2. सीमाज्ञान (Pemaish) का सिद्ध होना
प्रार्थी द्वारा तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष सीमाज्ञान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर टोकन नं. 2025/46943/1 दिनांक 21.05.2025 की पालना में राजस्व अमले द्वारा दिनांक 26.05.2025 को विधिवत पैमाइश/सीमाज्ञान किया गया। सीमाज्ञान रिपोर्ट, नक्शा–ट्रेस रिपोर्ट एवं जमाबन्दी प्रतिलिपि न्यायालय में पेश है, जिससे विवादित भूमि की वास्तविक स्थिति एवं सीमाएँ स्पष्ट रूप से चिन्हित हो चुकी हैं।

3. अतिक्रमण की आशंका एवं पत्थरगड़ी की आवश्यकता
अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, जिससे भविष्य में अनावश्यक विवाद एवं शांति भंग होने की संभावना है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

सीमाज्ञान होने के पश्चात् भूमि की वास्तविक सीमाओं को स्थायी रूप से चिन्हित करने के लिए पत्थरगड़ी कराया जाना आवश्यक है।

4. अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति
अप्रार्थीगण को विधिवत तामील करवाने के बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा कोई लिखित जवाब भी पेश नहीं किया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य व दस्तावेज अप्रतिवादित (Unrebutted) हैं, जिन्हें विधि अनुसार सत्य माना जाना चाहिए।

5. कानूनी स्थिति
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 एवं 128 के अनुसार राजस्व अधिकारी सीमाओं का निर्धारण तथा सीमांकन (पत्थरगड़ी) कराने का अधिकार रखते हैं, जिससे भूमि विवादों की रोकथाम हो सके और वास्तविक काश्तकार का अधिकार सुरक्षित रहे। चूँकि सीमाज्ञान विधिवत सम्पन्न हो चुका है, अतः पत्थरगड़ी करवाना कानूनन अगला आवश्यक कदम है।

6. निष्कर्ष
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं नक्शा–ट्रेस रिपोर्ट से यह पूर्णतः सिद्ध है कि प्रार्थी विवादित भूमि का काबिज काश्तकार है तथा सीमाएँ भी निर्धारित हो चुकी हैं। अप्रार्थीगण द्वारा कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः प्रार्थी का दावा न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, ग्राम चांदपुर स्थित आराजी ख.नं. 1093, 1095 एवं 1094 की दिनांक 26.05.2025 की पैमाइश अनुसार राजस्व अमले से विधिवत पत्थरगड़ी (सीमांकन) कराये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अप्रार्थी की संक्षिप्त बहस
अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यों व विधि दोनों दृष्टियों से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, निम्न कारणों से –
कब्जा विवादित है।

प्रार्थी ने स्वयं को काबिज काश्तकार बताया है, जबकि वास्तविकता यह है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण भी लम्बे समय से काबिज एवं उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं। अतः प्रार्थी का एकल कब्जा सिद्ध नहीं है। जब कब्जा ही विवादित हो, तब केवल पत्थरगड़ी का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

सीमाज्ञान एकपक्षीय एवं त्रुटिपूर्ण
कथित सीमाज्ञान दिनांक 26.05.2025 अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में किया गया तथा मौके पर वास्तविक स्थिति, पुरानी मेढ़, रास्ता एवं काश्त की स्थिति का सही परीक्षण नहीं हुआ। सीमाज्ञान रिपोर्ट वास्तविक मौके की स्थिति को प्रतिबिम्बित नहीं करती, इसलिए उस पर आधारित पत्थरगड़ी न्यायसंगत नहीं होगी।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

स्वामित्व का प्रश्न जटिल
विवादित भूमि का स्वामित्व एवं हिस्सेदारी विवादित है, जो सिविल प्रकृति का जटिल प्रश्न है। इस प्रकार के मामले में पहले अधिकार/हिस्सेदारी का विधिवत निर्धारण आवश्यक है। जब तक स्वामित्व व हिस्सेदारी स्पष्ट न हो, पत्थरगड़ी कराने से नये विवाद उत्पन्न होंगे।

वैकल्पिक उपचार उपलब्ध
यदि प्रार्थी को किसी प्रकार का अधिकार दावा करना है तो उसे बंटवारा/घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करना चाहिए। केवल सीमांकन के माध्यम से कब्जा स्थापित करने का प्रयास विधि विरुद्ध है।

निष्कर्ष
प्रार्थी ने न तो अपना निर्विवाद कब्जा सिद्ध किया है और न ही सीमाज्ञान विश्वसनीय है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में पत्थरगड़ी कराया जाना उचित नहीं है।
अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

विवेचन
मैंने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तावेजात, सीमाज्ञान रिपोर्ट, जमाबन्दी नकल, नक्शा–ट्रेस रिपोर्ट तथा अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण की बहस सुनी। विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रार्थी विवादित आराजी का काबिज काश्तकार है तथा क्या दिनांक 26.05.2025 को सम्पन्न सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगड़ी कराये जाने के आदेश पारित किये जा सकते हैं।

प्रथम, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी हाल ख.नं. 1093 रकबा 0.17 हे., 1095 रकबा 0.16 हे. तथा 1094 रकबा 0.18 हे., स्थित ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज रही है। प्रार्थी ने यह भी अभिवेदन किया है कि पिता की मृत्यु उपरान्त वह उक्त भूमि का उत्तराधिकारी होकर कब्जे में काश्त कर रहा है। इस कथन का खण्डन करने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा कोई प्रतिवाद, दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का कब्जा प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है।

द्वितीय, अभिलेख पर उपलब्ध सीमाज्ञान रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के आवेदन टोकन नं. 2025/46943/1 दिनांक 21.05.2025 की पालना में राजस्व अमले द्वारा मौके पर जाकर दिनांक 26.05.2025 को विधिवत पैमाइश /सीमाज्ञान किया गया तथा विवादित आराजी की सीमाएँ निर्धारित की गईं। उक्त सीमाज्ञान के समर्थन में नक्शा–ट्रेस रिपोर्ट भी पेश की गई है। सीमाज्ञान कार्यवाही एक राजकीय कर्तव्य है जिसे सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा नियमानुसार सम्पन्न किया गया है, अतः इसे अविश्वसनीय मानने का कोई ठोस आधार अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

तृतीय, अप्रार्थीगण को विधिवत तामील उपरान्त भी वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया। केवल मौखिक बहस में सीमाज्ञान को त्रुटिपूर्ण बताया गया, किन्तु उसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। विधि का सिद्धान्त है कि जो पक्ष तथ्य का खण्डन करता है, उस पर उसका प्रमाण भार होता है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई प्रतिवाद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थी का कथन अप्रतिवादित रह गया है।

चतुर्थ, धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अनुसार राजस्व अधिकारी को भूमि की सीमाओं के निर्धारण तथा सीमांकन/पत्थरगड़ी कराने का अधिकार प्राप्त है। सीमाज्ञान सम्पन्न होने के पश्चात भूमि की सीमाओं को स्थायी रूप से चिन्हित करना आवश्यक होता है जिससे भविष्य के विवादों की रोकथाम हो सके तथा वास्तविक काश्तकार का अधिकार सुरक्षित रहे। इस प्रकार पत्थरगड़ी एक राजस्व प्रकिया है, न कि स्वामित्व का अंतिम निर्णय।

अतः उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य, सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिवाद साक्ष्य के अभाव में यह सिद्ध होता है कि विवादित आराजी का सीमाज्ञान विधिवत सम्पन्न हो चुका है तथा शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा भविष्य के विवादों की रोकथाम हेतु पत्थरगड़ी कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं ख0न0 1093, 1095, 1094, 1095, 1096, 1097 वाके ग्राम चांदपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के समस्त काश्तकार को विधिवत रूप से सूचित कर एक माह में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1093, 1095, 1094 की पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी की जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner